न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वासुदेव मालावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 9/2019 (अपील)

उनवान

भोजराज पुत्र मोहनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम लाडपुरा तहसील कनवास जिला कोटा राज0

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये क्षैत्रीय वन अधिकारी कनवास जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :- 1. श्री दयाराम सेन (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री गोविन्द सिंह चौहान (राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट की ओर से)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी निर्णय दिनांक 7.11.2012 मिसल नम्बर 03/2012
न्यायालय सहायक वन संरक्षक, कोटा मण्डल कोटा, जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 11.07.2019

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एंव साक्ष्यों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का अपील बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जाकर उक्त विवादित निर्णय पारित किया है और अपीलाण्ट को किसी प्रकार का कोई साक्ष्य, सबूत व जवाब पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है, और अपीलाण्ट की अनुपस्थिति दर्ज कर एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आता है। मौके पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं रहा। अपीलाण्ट का नाका आवां अधीन वन खण्ड लाडपुरा ग्राम लाडपुरा में खसरा नम्बर 132 की 0.80 हेक्टर भूमि पर अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुऐ निर्णय जेर अपील विधि विरूद्ध रूप से पारित किया गया है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं है, और तावान की राशि जमा करवा दी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अभिभाषक का बहस में कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा वनभूमि पर कब्जा किया है। अपीलाण्ट को उक्त अतिक्रमित आराजी से पूर्व में बेदखल किया गया है। उसके बावजूद अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया

है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट अप्रार्थी का बहस अपील में कथन है कि "अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जाकर उक्त विवादित निर्णय पारित किया है और अपीलाण्ट को किसी प्रकार का कोई साक्ष्य, सबूत व जवाब पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है, और अपीलाण्ट की अनुपस्थिति दर्ज कर एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आता है। मौके पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं रहा। अपीलाण्ट का नाका आवां अधीन वन खण्ड लाडपुरा में खसरा नम्बर 132 की 0.80 हैक्टयर भूमि पर अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुऐ निर्णय जेर अपील विधि विरूद्ध रूप से पारित किया गया है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं है, और तावान की राशि जमा करवा दी है।" रेस्पोडेण्ट अप्रार्थी की ओर से उपस्थित राजकीय अभिभाषक का बहस में कथन रहा है कि "अपीलाण्ट द्वारा वनभूमि पर कब्जा किया है। अपीलाण्ट को उक्त अतिक्रमित आराजी से पूर्व में बेदखल किया गया है। उसके बावजूद अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है।" उभय पक्ष की ओर से बहस में किये गये उक्त कथन एंव पत्रावली पर उपलब्ध स्थिति का अवलोकन अनुसार यह पाते है कि अपीलाण्ट अप्रार्थी ने वन भूमि पर अतिक्रमण किया है, जिससे अपीलाण्ट की अपील स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

9, निर्णय आज दिनांक 11.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा